



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2009/चैत्र 5, 1931

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2009/CHAITRA 5, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2009

सा.का.नि. 203(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियमावली में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मूल (संशोधन) नियमावली, 2009 है।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. मूल नियमावली में नियम 56 के खण्ड (घ) में पांचवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बशर्ते यह भी कि पांचवें परंतुक में किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह गृह सचिव और रक्षा सचिव को सेवा की दो वर्ष की उपर्युक्त अवधि के पश्चात् अधिकतम 3 माह की अगली अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकती है।”

[फा. सं. 26012/5/2009-स्था. (क)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 1 जनवरी, 1922 को लागू हुए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

वित्त मंत्रालय

1. दिनांक 21-7-1965 की अधिसूचना संख्या-12(2)-ई.वी. (सी)-63
2. दिनांक 23-7-1966 की अधिसूचना संख्या-7(10)-ई.वी./63
3. दिनांक 8-7-1968 की अधिसूचना संख्या-7 (6)-ई.वी./68
4. दिनांक 17-5-1969 की अधिसूचना संख्या-7(2)-ई.वी./67-1
5. दिनांक 26-5-1969 की अधिसूचना संख्या-7(2)-ई.वी./69-1
6. दिनांक 26-5-1969 की अधिसूचना संख्या-7(14)-ई.वी./67-1
7. दिनांक 7-2-1975 की अधिसूचना संख्या-7(7)-ई.वी.(क)/74
8. दिनांक 20-8-1977 की अधिसूचना संख्या-7(8)-ई.वी.(क)/77

**गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

9. दिनांक 30-11-1979 की अधिसूचना संख्या-19017/7/79-स्था.(क)
10. दिनांक 11-9-1981 की अधिसूचना संख्या-25013/13/4-80-स्था.(क)
11. दिनांक 12-6-1982 की अधिसूचना संख्या-15013/4/80-स्था.(क)
12. दिनांक 11-10-1983 की अधिसूचना संख्या-26012/14/83-स्था.(क)
13. दिनांक 25-2-1984 की अधिसूचना संख्या-25013/25/83-स्था.(क)

**कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**

14. दिनांक 2-7-1985 की अधिसूचना संख्या-25013/25/83-स्था.(क)
15. दिनांक 7-10-1988 की अधिसूचना संख्या-25013/10/87-स्था.(क)
16. दिनांक 11-5-1989 की अधिसूचना संख्या-25013/11/87-स्था.(क)
17. दिनांक 30-8-1993 की अधिसूचना संख्या-25012/2/86-स्था.(क)
18. दिनांक 9-2-1998 की अधिसूचना संख्या-28020/1/96-स्था.(ग)
19. दिनांक 13-5-1998 की अधिसूचना संख्या-25012/2/97-स्था.(क) [दिनांक 13-5-1998 की सं. सा.का.नि. 248(अ)]
20. दिनांक 27-5-1998 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) [दिनांक 27-5-1998 की सं. सा.का.नि. 276(अ)]
21. दिनांक 12-11-1998 का शुद्धि पत्र सं. 25012/2/97-स्था.(क)(i)
22. दिनांक 12-11-1998 का शुद्धि पत्र सं. 25012/2/97-स्था.(क)(ii)
23. दिनांक 8-12-1998 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) [दिनांक 8-12-1998 की सं. सा.का.नि. 724(अ)]
24. दिनांक 25-1-1999 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) [दिनांक 25-1-1999 की सं. सा.का.नि. 49(अ)]
25. दिनांक 4-7-2001 की अधिसूचना संख्या 24012/4/2001-स्था.(क) [दिनांक 4-7-2001 की सं. सा.का.नि. 506(अ)]
26. दिनांक 27-2-2002 की अधिसूचना संख्या 25012/6/2001-स्था.(क) [दिनांक 27-2-2002 की सं. सा.का.नि. 117(अ)]
27. दिनांक 27-9-2005 की अधिसूचना संख्या 26012/3/2005-स्था.(क) [दिनांक 27-9-2005 की सं. सा.का.नि. 613(अ)]
28. दिनांक 29-5-2006 की अधिसूचना संख्या 26012/3/2005-स्था.(क) [दिनांक 29-5-2006 की सं. सा.का.नि. 322(अ)]
29. दिनांक 4-1-2007 की अधिसूचना संख्या 25012/5/2007-स्था.(क) [सं. सा.का.नि. 9 (अ)]
30. दिनांक 17-10-2007 की अधिसूचना संख्या 25012/5/2007-स्था.(क) [सं. सा.का.नि. 668(अ)]

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2009

**G.S.R. 203(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, in rule 56, in clause (d), after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that notwithstanding anything contained in the fifth proviso, the Central Government may, if considers it necessary, in public interest, so to do, give an extension in service for a further period not exceeding three months beyond the said period of two years to the Home Secretary and the Defence Secretary.”

[F. No. 26012/5/2009-Estt. (A)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

**Note :** The Fundamental Rules came into force with effect from the 1st January, 1922 and were subsequently amended *vide* the following notifications, namely :—

**Ministry of Finance**

1. Notification No. 12(2)-E.V.(C)-63 dt. 21-7-1965
2. Notification No. 7(10)-E.V./63 dt. 23-7-1966
3. Notification No. 7(6)-E.V./68 dt. 8-7-1968
4. Notification No. 7(2)-E.V./67-I dt. 17-5-1969
5. Notification No. 7(2)-E.V./69-I dt. 26-5-1969
6. Notification No. 7(14)-E.V./67-I dt. 26-5-1969
7. Notification No. 7(7)-E.V.(A)/74 dt. 7-2-1975
8. Notification No. 7(8)-E.V.(A)/77 dt. 20-8-1977

**Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and A.R.**

9. Notification No. 19017/7/79-Estt.(A) dt. 30-11-1979
10. Notification No. 25013/4/80-Estt.(A) dt. 11-9-1981
11. Notification No. 15013/4/80-Estt.(A) dt. 12-6-1982
12. Notification No. 26012/14/83-Estt.(A) dt. 11-10-1983
13. Notification No. 25013/25/83-Estt.(A) dt. 25-2-1984

**Department of Personnel and Training**

14. Notification No. 25013/25/83-Estt.(A) dt. 2-7-1985
15. Notification No. 25013/10/87-Estt.(A) dt. 7-10-1988
16. Notification No. 25013/11/87-Estt.(A) dt. 11-5-1989
17. Notification No. 25012/2/86-Estt.(A) dt. 30-8-1993
18. Notification No. 28020/1/96-Estt.(C) dt. 9-2-1998
19. Notification No. 25012/2/97-Estt.(A) dt. 13-5-1998 [No. G.S.R. 248(E) dt. 13-5-1998]
20. Notification No. 25012/2/97-Estt.(A) dt. 27-5-1998 [No. G.S.R. 276(E) dt. 27-5-1998]
21. Cordgm. No. 25012/2/97-Estt.(A) (i) dt. 12-11-1998
22. Cordgm. No. 25012/2/97-Estt.(A) (ii) dt. 12-11-1998
23. Notification No. 25012/2/97-Estt.(A) dt. 8-12-1998 [No. G.S.R. 724(E) dt. 8-12-1998]
24. Notification No. 25012/2/97-Estt.(A) dt. 25-1-1999 [No. G.S.R. 49(E) dt. 25-1-1999].
25. Notification No. 24012/4/2001-Estt.(A) dt. 04-07-2001 [No. G.S.R. 506(E) dt. 4-7-2001]
26. Notification No. 25012/6/2001-Estt.(A) dt. 27-02-2002 [No. G.S.R. 117(E) dt. 27-2-2002]
27. Notification No. 26012/3/2005-Estt.(A) dt. 27-9-2005 [No. G.S.R. 613(E) dt. 27-9-2005]
28. Notification No. 26012/3/2005-Estt.(A) dt. 29-5-2006 [No. G.S.R. 322(E) dt. 29-5-2006]
29. Notification No. 25012/5/2007-Estt.(A) dt. 4-1-2007 [No. G.S.R. 9(E)]
30. Notification No. 25012/5/2007-Estt.(A) dated 17-10-2007 [No. G.S.R. 668(E)].